कार्यालय कलेक्टर(लोसेप्र), जिला–नीमच (म0प्र0)

जिला प्रबंधक लोक सेवा नीमच के पद पर चयन हेतु 100 अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची में से दिनांक 20 व 21 दिसम्बर 2017 को उपस्थित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उपरान्त तैयार की गई अंतिम वरीयता सूची :–

क्र.	एप्लीकेशन नं.	नाम	पिता का नाम

चयन सूची

1	PS0117000199	Ashish Kumar Jain	Rajendra Kumar Jain

प्रतिक्षा सूची

1	PS0117000390	Suraj Singh Yadav	Jagdish Singh
2	PS0117001832	Sujay Jain	Vijay Jain
3	PS0117001475	Neeraj Kumar Jain	Ganshayamdas Jain
4	PS0117003156	Bhoopendra Kumar Dhankade	Madhao Prasad Dhankade
5	PS0117002825	Harsh Rahangdale	J.S. Rahanhadale
6	PS0117004725	Sapan Ditya Gupta	Ram Krishan Gupta
7	PS0117003898	Umesh Kumar Panwar	Anand Rao Panwar
8	PS0117001108	Ashay Shrivastva	Pavan Kumar Shrivastva
9	PS0117002128	Ankita Sachan	Raj Bahadur Sachan
10	PS0117003676	Abishek Shrivastva	Vishnu Narayan Shrivastva
11	PS0117001311	Arvind Kushwah	Chintaman Kushwah

कलेक्टर
जिला नीमच

कार्यालय कलेक्टर (लोसेप्र) जिला नीमच म.प्र.
जिला लोक सेवा प्रबंधक भर्ती 2017–18
साक्षात्कार परीक्षा

दिनांक 20.12.2017

S. N.	Application No	Name	Father's Name	DOB	Qualification	Merit Marks /100	Interview Marks/20					Total Marks (Merit+Interview)
							Collector (Out of 5)	CEO ZP (Out of 5)	DIO NIC (Out of 5)	VK Ojha (Ass. Proffesor) (Out of 5)	Total	
1	PS0117003676	Abishek Shrivastva	Vishnu Narayan Shrivastva	16.6.1987	MBA (65.5%)	67	04	04	03	04	15	82
2	PS0117000199	Ashish Kumar Jain	Rajendra Kumar Jain	15.12.1986	MCA (70.5%)	74	04	05	04	05	18	92
3	PS0117003898	Umesh Kumar Panwar	Anand Rao Panwar	24.5.1989	BE(IT) (62.8%)	67	05	04	04	04	17	84
4	PS0117003156	Bhoopendra Kumar Dhankade	Madhao Prasad Dhankade	12.5.1986	MCA (74.3%)	67	04	05	04	05	18	85
5	PS0117004725	Sapan Ditya Gupta	Ram Krishan Gupta	11.5.1992	BE(IT) (67.94%)	69	03	05	04	04	16	85
6	PS0117002128	Ankita Sachan	Raj Bahadur Sachan	6.12.1991	MBA (75.30)	70	03	04	03	03	13	83
7												
8												

V.K. Ojha Ass. Professor PG College Neemuch

DIO, NIC Neemuch

CEO ZP Neemuch

Collector Neemuch

कार्यालय कलेक्टर (लोसेप्र) जिला नीमच म.प्र.
जिला लोक सेवा प्रबंधक भर्ती 2017–18
साक्षात्कार परीक्षा

दिनांक 21.12.2017

S. N.	Application No	Name	Father's Name	DOB	Qualification	Merit Marks/ 100	Interview Marks/20					Total Marks (Merit+Interview)
							Collector (Out of 5)	CEO ZP (Out of 5)	DIO NIC (Out of 5)	VK Ojha (Ass. Proffesor) (Out of 5)	Total	
7	PS0117001832	Sujay Jain	Vijay Jain	2.3.1991	BE (CS) (69.28%)	70	05	05	04	04	18	88
8	PS0117001475	Neeraj Kumar Jain	Ganshayamdas Jain	4.2.1991	MBA (70.026%)	72	04	04	03	04	15	87
9	PS0117000390	Suraj Singh Yadav	Jagdish Singh	9.7.1987	MCA (65.07%)	72	05	04	04	04	17	89
10	PS0117002825	Harsh Rahangdale	J.S. Rahanhadale	22.10.1989	BE (IT) (73.76)	67	05	05	04	04	18	85
11	PS0117001108	Ashay Shrivastva	Pavan Kumar Shrivastva	11.11.1989	BE (IT) (67.69)	69	05	04	02	03	14	83
12	PS0117001311	Arvind Kushwah	Chintaman Kushwah	26.11.1989	BE (CS) (63.37)	68	04	04	02	02	12	80
13												
14												

V.K. Ojha Ass. Professor PG College Neemuch	DIO, NIC Neemuch	CEO ZP Neemuch	Collector Neemuch

कार्यालय कलेक्टर(लोसेप्र), जिला–नीमच (म0प्र0)

क्रमांक 674 /लोसेप्र/2017 नीमच दिनांक 22/12/2017

::आदेश::

म.प्र. शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6–1/2017/लो.से.प्र./61 भोपाल दिनांक 14.10.2017 के माध्यम से म.प्र. में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला प्रबंधक लोक सेवा के रिक्त पद पद पूर्ति हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा के उपरांत राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. के पत्र क्रमांक/रा.लो.से.अ/2017/915 दिनांक 16 नंबर 2017 के द्वारा जारी मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति क्र. 655/लोसेप्र/2017 दिनांक 06/12/2017 के द्वारा आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयन समिती द्वारा जारी अंतिम वरियता सूची के आधार पर **श्री आशीष कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन निवासी रोलुपिपलिया सोनकक्ष जिला देवास** को संविदा आधार पर जिला नीमच में जिला प्रबंधक लोक सेवा के रिक्त पद मानदेय 25,000/– रू. (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदाय की जाती है।

संविदा अवधि की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. संविदा अवधि –

1.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन आधार पर उपर्युक्त होनें पर एक वर्ष के लिये पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।

1.2 इस संविदा अवधि नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही जायेगा।

1.3 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

2. मानदेय –

2.1 जिला प्रबंधक लोक सेवा को संविदा अवधि के दौरान रूपये 25000/– प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जायेगा।

3. यात्रा एवं दैनिक भत्ता –

3.1 संविदा पर नियुक्त अधिकारी यदि सेवा निवृत है तो उसे सेवा निवृति के समय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के पात्रता अनुसार भत्ते दिए जाएगें। अन्य मामलों में जिला प्रबंधक को द्वितीय श्रेणी के समेकित राज्य शासन शासन के सहायक ग्रेड –1 समान यात्रा एवं दैनिक भत्ता देयक होगा।

4. ई.पी.एफ कटौत्रा :–

4.1 ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

5. अवकाश :–

(क) आकस्मिक अवकाश – संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी ।

(ख) चिकित्सा अवकाश – संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सकीय अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेंगा ।

(ग) प्रसूति अवकाश – संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन के चिकित्सकीय अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(घ) उपरोक्त सभीप्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता हैं। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने पर अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति अवधि का वेतन देय नहीं होगा । तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

6.0 अन्य :–

6.1 चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 कार्यदिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची के अगले क्रम वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

6.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी को जिले के मुख्य चिकित्सालय पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6.3 संविदा पर नियुक्त जिला लोक सेवा प्रबंधक की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह का नोटिस देकर सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी ।

6.4 संविदा पर नियुक्त अधिकारी एक माह का पूर्व का नोटिस कलेक्टर को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग–पत्र दे सकता हैं।

6.6 संविदा निुक्ति पर नियुक्त अधिकार / कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देश के कोई भी सूचना / जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

6.7 कार्यलय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों / कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार / व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

6.7 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौपें गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगे।

6.8 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार गृहण करना अनिवार्य होगा अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

6.9 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

6.10 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको को लागू नियमों तथा अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताए तत्काल रद्द की जा सकेगी।

6.11 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगे।

6.12 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी द्वारा उसे प्रावधानिक किए गए कार्य मानक स्तर से नही करने की स्थिति में कारण बताओं स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रू. 250/– तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थदण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरा बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।

6.13 चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार गृहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

6.14 जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के जाब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये जाएगे।

6.15 किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा ।

कलेक्टर
जिला नीमच

पृ. कमांक 675 /लोसेप्र /2017 नीमच दिनांक 22/12/2017
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीमच की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी स्थापना/वित्त–1 की ओर सूचनार्थ की ओर सूचनार्थ।
6- संबंधित **श्री आशीष कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन निवासी रोलुपिपलिया सोनकक्ष जिला देवास** की ओर सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला नीमच